"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11325/वि. स./विधान/2015. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 30 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 22 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) सहायक उप-निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का एक जोन अथवा रेंज के जिले से दूसरे जोन अथवा रेंज के जिले में तथा उप-निरीक्षक एवं निरीक्षकों का एक जोन या रेंज या जिले से दूसरे जोन या रेंज या जिले में स्थानांतरण करना;"

(2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4) पुलिस महानिदेशक, प्रत्येक पुलिस रेंज में रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड, जो "रेंज बार्ड" कहलायेगा, गठित करेगा जिसमें रेंज पुलिस महानिरीक्षक इसके सभापति तथा उस रेंज के दो जिला पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे जिनके पास सहायक उप-निरीक्षक स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का, पुलिस रेंज के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में, स्थानांतरण करने का प्राधिकार होगा.

(5) पुलिस स्थापना बोर्ड, व्यथित पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अभ्यावेदन देने पर, रेंज बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 22 के अन्तर्गत स्थापित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा, निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए सशक्त होने के कारण, बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किये जा रहे थे और इसलिये बोर्ड पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था;

और यत:, बोर्ड पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिये, यह प्रस्तावित किया गया है कि अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रयोजन के लिये और उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित विषयों के लिये रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करें एवं उन्हें सशक्त करें;

अतएव, उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 13 दिसम्बर, 2015

रामसेवक पैकरा
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 22 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

22. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पुलिस स्थापना बोर्ड (जो इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट है) गठित करेगी, जिसमें पुलिस महानिदेशक इसके सभापति तथा पुलिस उप महानिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे.

(2) बोर्ड निम्नलिखित कार्यों व कर्तव्यों का संपादन करेगा :-

(क) निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का एक जोन या रेंज या जिले से दूसरे में स्थानांतरण करना;

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित आदेशों से भिन्न, किसी आदेश से व्यथित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त करना तथा परीक्षण करना, और :-

(एक) यदि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो निराकरण करना;

(दो) अन्य मामलों में राज्य सरकार को सिफारिश देना.

(ग) ऐसे अन्य कार्य एवं कर्तव्य जैसा कि विहित किया जाए.

(3) राज्य सरकार, व्यथित पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश तिथि से छ: माह के भीतर अभ्यावेदन देने पर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.